



राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



क्रमांक एफ 1(1)(157)/मअ/स्था/2020/ 28408

जयपुर, दिनांक 27/11/2020

आदेश

राज्य में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण तथा विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के कोरोना संक्रमण के मामले मिलने के कारण केन्द्र सरकार एवं गृह विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा जारी आदेश की पालना में जिला स्तर के कार्यालय में कोरोना संक्रमण के दौरान उक्त निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

निदेशालय महिला अधिकारिता के अन्तर्गत जिला स्तर पर पदस्थापित उप निदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता के अधिकारियों को कोरोना संक्रमण होने की स्थिति में संबंधित जिले के अधिकारी द्वारा क्वारंटाईन लीव पर रहने के दौरान इनके पद का अतिरिक्त कार्यभार संबंधित जिले के उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं के द्वारा संपन्न किया जावेगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।


आयुक्त

महिला अधिकारिता

क्रमांक एफ 1(1)(157)/मअ/स्था/2020/ 28409-523
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं अवाश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

जयपुर, दिनांक : 27/11/2020

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता मुख्यालय।
4. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, समस्त
6. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता मुख्यालय।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त
8. निदेशालय महिला अधिकारिता के समस्त प्रभारी अधिकारी
9. समस्त उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं,
10. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
11. प्रोग्रामर, म.अ., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. आदेश पत्रावली।


आयुक्त

महिला अधिकारिता